



भारतीय रज़िर्व बैंक द्वारा बैंकों को उधार देने की समय सीमा का वसितार

प्रीलिमिन्स के लिये:

'सीमांत स्थायी सुवधि', रेपो रेट

मेन्स के लिये:

भारतीय रज़िर्व बैंक द्वारा 'सीमांत स्थायी सुवधि' दर की सीमा बढ़ाने के कारण

चर्चा में क्यों?

भारतीय रज़िर्व बैंक (Reserve Bank of India- RBI) द्वारा लॉकडाउन के कारण उत्पन्न प्रतिकूल आर्थिक स्थितियों के ध्यान में रखते हुए बैंकों की नकदी की समस्या को दूर करने के लिये भारतीय रज़िर्व बैंक से बैंकों के कर्ज लेने की सीमा की सुवधि को 30 सितंबर, 2020 तक वसितारित कर दिया गया है।

प्रमुख बिंदु:

- भारतीय रज़िर्व बैंक द्वारा अस्थायी उपाय के रूप में 'सीमांत स्थायी सुवधि' (Marginal Standing Facility- MSF) के तहत अधिसूचित बैंकों के लिये कर्ज लेने की सीमा को बढ़ाया गया है।
- 27 मार्च, 2020 से इस नरिणय को क्रयान्वति कयिा जा रहा है।
- भारतीय रज़िर्व बैंक द्वारा पहले इस छूट की समयावधि 30 जून, 2020 तक थी जसि अब बढ़ाकर 30 सितंबर, 2020 तक कर दिया गया है।
- सीमांत स्थायी सुवधि के तहत बैंक, भारतीय रज़िर्व बैंक से अपनी शुद्ध मांग (Net Demand) तथा समय देयता (Time Liabilities) का 2 प्रतिशत से 3 प्रतिशत तक उधार ले सकेंगे।

'सीमांत स्थायी सुवधि' क्या है?

- भारतीय रज़िर्व बैंक द्वारा वर्ष 2011-12 में मोद्रकि नीत में सुधार करते हुए 'सीमांत स्थायी सुवधि योजना' की शुरुआत की गई थी।
- सीमांत स्थायी सुवधि (MSF) के तहत बैंक अंतर-बैंक तरलता (Inter-Bank Liquidity) की कमी को पूरा करने के लिये आपातकालीन स्थिति में भारतीय रज़िर्व बैंक से उधार लेते हैं।
- इसमें बैंक तरलता समायोजन सुवधि (Liquidity Adjustment Facility-LAF) के तहत रेपो दर (Repo Rate) से अधिक की दर पर सरकारी प्रतभितियों को गरिवी रखकर भारतीय रज़िर्व बैंक से उधार लेते हैं।
- 'सीमांत स्थायी सुवधि' के तहत बैंक अपनी शुद्ध मांग और समय देनदारियों के 1% तक रज़िर्व बैंक से धन उधार ले सकते हैं।
- 'सीमांत स्थायी सुवधि' दर रेपो दर से 100 आधार अंक अधिक होती है।
- यह एक दंडात्मक दर है जसि पर बैंक भारतीय रज़िर्व बैंक से पैसे उधार ले सकते हैं।
- बैंकों द्वारा रखे जाने वाली आवश्यक न्यूनतम रज़िर्व से कम रखने की स्थिति में रज़िर्व बैंक द्वारा बैंकों के वरिद्ध दंडात्मक प्रक्रयिा संचालति की जाती है जसिके तहत बैंकों को आवश्यक न्यूनतम रज़िर्व से कम रखने की स्थिति में रज़िर्व बैंक को ब्याज देना पड़ता है इसे पैनल रेट कहते हैं।

रेपो रेट:

- रेपो रेट का प्रयोग रज़िर्व बैंक द्वारा तरलता की स्थिति को समायोजति करके कयिा जाता है।
- अर्थव्यवस्था में तरलता को बढ़ाने के लिये रज़िर्व बैंक द्वारा रेपो रेट में कमी की जाती है तथा मुद्रा स्फीति को नरिंत्रति करने के लिये इसकी मात्रा में वृद्धि की जाती है।
- इसके अंतरगत रज़िर्व बैंक द्वारा अल्पकालीन तरलता प्रबंधन के लिये प्रतभितियों का क्रय-वक्रय कयिा जाता है।

स्रोत: इंडयिन एक्सप्रेस

PDF Reference URL: <https://www.drishtiiias.com/hindi/printpdf/extension-of-time-limit-for-lending-to-banks-by-reserve-bank-of-india>

